

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-78/2024 दिनांक 18.03.2024)
दिनांक-18.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अन्तर्राज्यीय बंजारा डॉक्टर गैंग के फर्जी डाक्टरों पर्दाफाश-

अपराध मे संलिप्त सरगना संजय सिंह बंजारा, 3 लाख 6 हजार रुपये नगद, चोरी के जेवरात व अपराध मे प्रयुक्त एक अदद सफेद बोलेरो व एक अदद मिनी बस वैन (कुल बरामदगी कीमत लगभग 21 लाख रुपये) व अपने दो अन्य शातिर ठगों के साथ गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज कुशीनगर श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों एवं जनपद में हो रहे साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को थाना तरया सुजान व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा अहिरौलीदान के पास से अन्तर्राज्यीय बंजारा डॉक्टर गैंग के अपराधियों/ठग जो फर्जी डॉक्टर बनकर जनता के भोले-भाले लोगों को अपने झांसे मे लेकर तथा धोखे से उनका फोटो व वीडियो बनाना तथा लाइलाज बीमारी का भय दिखाकर उनसे इलाज के नाम पर नगद व फर्जी खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर करवाकर ठगी का कार्य करते थे । बंजारा डॉक्टर गैंग के सरगना संजय सिंह अपने दो अन्य शातिर ठगों के साथ ठगी का नकद 03 लाख 06 हजार रुपये व चोरी के पीली धातु/ सोने का वजन 88.04 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 05 लाख पचास हजार व अपराध मे प्रयुक्त एक अदद 04 पहिया वाहन सफेद बोलोरो व एक अदद चार पहिया मिनी बस वैन सहित ठगी के कुल लगभग 21 लाख रुपये के साथ तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 97/2024 धारा 419, 420, 379, 506, 467, 468, 471, 120बी, 414 भा0द0वि0 व 66(D)(E) I.T. Act थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-संजय सिंह बंजारा पुत्र करनैल सिंह बंजारा निवासी इन्द्रा कालोनी



सरहट (ब्रम्ह बाबा के पास) थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उ0प्र0
2-बंटी सिंह बंजारा पुत्र करनैल सिंह बंजारा निवासी इन्द्रा कालोनी सरहट
(ब्रम्ह बाबा के पास) थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उ0प्र0
3-समीर बंजारा पुत्र धर्मपाल बंजारा निवासी इन्द्रा कालोनी सरहट
(ब्रम्ह बाबा के पास) थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट उ0प्र0

बरामदगी का विवरण:- (कुल बरामदगी अनुमानित कीमत लगभग 21 लाख रूपये)

- 1-बंजारा डॉक्टर गैंग द्वारा ठगी के 03 लाख 06 हजार रुपये नगद माल मुकदमाती ।
- 2-चोरी के पीली धातु/ सोने के जेवरात कुल 88 ग्राम कीमत लगभग 5,50000/- रूपये।
- 3-अपराध में प्रयुक्त 01 अदद सफेद बोलेरो नं0 CG04HA4267 अनुमानित कीमत लगभग 500000/- रूपया ।
- 4-अपराध में प्रयुक्त 01 अदद मिनी वैन बस नं0 UP77Z6502 अनुमानित कीमत लगभग 700000/- रूपया
- 5-अपराध में प्रयुक्त 03 अदद एंड्रायड मोबाइल (अपराधिक डेटा सहित) अनुमानित कीमत लगभग 50000/- रूपया
- 6-अपराध मे प्रयुक्त 07 अदद फर्जी आधार कार्ड
- 7-अपराध मे प्रयुक्त 14 अदद फर्जी सिम कार्ड
- 8-अपराध मे प्रयुक्त 03 एटीएम कार्ड
- 9-अपराध मे प्रयुक्त 01 अदद पैन कार्ड
- 10-अपराध मे प्रयुक्त 16 अदद कूट रचित सरकारी मोहरे
- 11-अपराध मे प्रयुक्त 02 अदद फर्जी कूट रचित दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित
- 12-अपराध मे प्रयुक्त 48 अदद पूड़िया जिनको हीरा भस्म व स्वर्ण भस्म बताकर ठगी कर पीड़ितो से मोटी रकम हेतु उपयोग मे लाई गयी उक्त पुड़िया
- 13-अपराध मे प्रयुक्त दो अदद थर्मामीटर यंत्र
- 14-अपराध मे प्रयुक्त एक अदद वैक्यूम प्रेशर मशीन
- 15-अपराध मे प्रयुक्त पीड़ितो को डराने व धमकाने के लिए कूटरचित प्रशासन की 02 अदद नोटिस

अपराध का तरीका-

यह बंजारा डॉक्टर गैंग साइबर ठगी जैसे अपराधों में भी संलिप्त है तथा इस गैंग के शातिर ठग जिला चित्रकूट के रहने वाले है ये घुमन्तू जाति से सम्बन्धित हैं तथा अपने गैंग का संचालन ये लोग 04 पहिया वाहन बोलोरो व 04 पहिया मिनी बस कम्पैस के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रदेशों के जिलों में मेला लगाकर डेरा डालकर भोले-भाले लोगों को लक्ष्य बनाते हुए उनको

अपने ठगी का शिकार बनाकर लाखों रुपये की ठगी करने के बाद वहां से फरार होकर अन्य दूरस्थ स्थानों पर जाकर पुनः अपराध करने का आदी है विशेषकर यह गैंग पुरूषों को उनके प्राइवेट पार्ट में लाइलाज गंभीर बीमारी बताकर अपने ठगी के जाल में फंसाने के लिए झांसा देता है तथा उनके आधार कार्ड व प्राइवेट पार्ट की फोटो लेकर उनसे मर्दाना कमजोरी के सम्बन्ध में उनका शपथ पत्र ले लेता है तथा उनको हीरा भस्म व स्वर्ण भस्म के जगह नकली दवायें देकर तथा अपने पास फर्जी यंत्रों से उनके प्राइवेट पार्ट का धोखे से इलाज करता है तथा उनसे लाखों रुपये की मोटी रकम को अपने दूरस्थ बैठे दलालों के फर्जी खातों में नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करता है तथा उनके पैरोकारों के माध्यम से नगद रुपये प्राप्त कर लेते हैं जब भोले-भाले लोग इनकी ठगी से परचित होते हैं तब ये लोग उनके प्राइवेट पार्टों की फोटो व वायरल करने की धमकी देते हुए पुनः पैसों की मांग करते हैं तथा घुमन्तु जाति तथा उनके पास परिवहन की उत्तम व्यवस्था होने के कारण ये लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं बाद में फर्जी सिमों की सहायता से नम्बर बदल देते हैं तथा नये स्थानों पर यही अपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति करते हैं और पीड़ितों का प्राइवेट व गोपनीय डाटा अपने मोबाइल में सुरक्षित रखते हैं ताकि भविष्य में उनसे कोई खतरा न हो अब तक इनके मोबाइल से करीब 150-200 लोगों से ठगी के माध्यम से आनलाइन पैसा भिन्न-भिन्न खातों में ट्रांसफर कराया गया है अभी तक ऐसे 12 खातों को फ्रीज किया जा चुका है।

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2-प्र०नि० श्री मनोज कुमार पंत साईबर थाना जनपद कुशीनगर
- 3-व०उ०नि० श्याम लाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4-उ०नि० विनय कुमार मिश्र थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5-हे०का० विजय कुमार चौधरी कुमार साईबर थाना जनपद कुशीनगर
- 6-का० मनोज कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 7-का० अवनीश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 8- का० श्रीकृष्ण मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 9-का० अखिलेश कुमार गुप्ता साईबर थाना जनपद कुशीनगर
- 10-का० अमित गुप्ता साईबर थाना जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में 15,000-15,000/- रु० के 03 नफर वांछित इनामिया अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-



Edit with WPS Office

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में

अपराध व अपराधियों पर अंकुश व वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.03.24 को प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा थाना तमकुहीराज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित 15000-15000/- रू0 इनामिया वांछित 03 नफर अभियुक्तगण 1-विनोद कुमार पुत्र सरजू प्रसाद ग्राम सेमरा मु0 चिखरी(हरटीनगंज) थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या, 2-राम भरत चौरसिया पुत्र स्व0 हरीश चन्द ग्राम तरमा खुर्द(खास) थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या 3-कोमल पाठक पुत्र विन्ध्याचल पाठक ग्राम तरमा कला थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.11.2022 को थाना तमकुहीराज पुलिस के साथ चार राशि गोवंशीय पशुओं को पिकअप से ले जाने के दौरान लतवा चट्टी नहर के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 191/2022 धारा 307 भादवि व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0सं0 51/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-विनोद कुमार पुत्र सरजू प्रसाद ग्राम सेमरा मु0 चिखरी(हरटीनगंज) थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या

2-राम भरत चौरसिया पुत्र स्व0 हरीश चन्द ग्राम तरमा खुर्द(खास) थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या 3-कोमल पाठक पुत्र विन्ध्याचल पाठक ग्राम तरमा कला थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्रा0नि0 अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 आदित्य साहू थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

3-कां0 राकेश सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

4-कां0 विनोद कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर



थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा एक अदद हीरो स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल कीमत लगभग 70,000/-रु0 (सत्तर हजार रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश भट्ट के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को थाना हनुमानगंज पुलिस टीम द्वारा थाना खड्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त विजय प्रताप विश्वकर्मा पुत्र जयनरायन विश्वकर्मा सा0 भैरव विशुनपुरा बुजुर्ग नोनियापट्टी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद हीरो स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP57 BD 8834 कीमत लगभग 70,000/-रु0 (सत्तर हजार रुपये) को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण- (कुल कीमत लगभग सत्तर हजार रुपये)

एक अदद हीरो स्पलैण्डर प्लस मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP57 BD 8834 कीमत लगभग 70,000/-रु0 (सत्तर हजार रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

- 1- थानाध्यक्ष अजय कुमार पटेल थाना हनुमानगंज कुशीनगर
- 2- का0 अमित यादव थाना हनुमानगंज कुशीनगर
- 3- का0 विवेकानन्द पटेल थाना हनुमानगंज कुशीनगर
- 4- रामबरन मौर्य थाना हनुमानगंज कुशीनगर
- 5- का0 अमित सिंह थाना हनुमानगंज कुशीनगर

थाना कसया पुलिस द्वारा अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक व उसके एक अन्य सहयोगी सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया कुशीनगर श्री कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 17.03.2024 को थाना कसया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से

रह रहे एक नफर विदेशी नागरिक (बांग्लादेश) मामुन सरकार पुत्र नानटु सरकार साकिन अमपाल थाना मुरादनगर जिला-कुमिल्ला प्रभाग ढाका बांग्लादेश व उसके सहयोगी जहाँगीर अंसारी पुत्र शहीद अंसारी साकिन-पंद दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना कसया कुशीनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 7/14 विदेशियो विषयक अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 153/2024 धारा 7/14 विदेशियो विषयक अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मामुन सरकार पुत्र नानटु सरकार साकिन अमपाल थाना मुरादनगर जिला कुमिल्ला प्रभाग ढाका बांग्लादेश
02. जहाँगीर अंसारी पुत्र शहीद अंसारी साकिन-पंद दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना कसया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 श्री गिरिजेश उपाध्याय थाना कसया जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 गौरव श्रीवास्तव थाना कसया कुशीनगर
3. का0 अतुल कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का0 शैलेश यादव थाना कसया कुशीनगर
5. हे0का0 राम सिंह थाना कसया कुशीनगर
6. का0 बृजेश कुशवाहा थाना कसया कुशीनगर

थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद मोटर साईकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.03.2024 को 01 नफर अभियुक्त विराट सिंह उर्फ रिषभ सिंह पुत्र इन्द्रदेव मोहन सिंह साकिन देवरिया बाबू थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके पास से एक अदद चोरी की मो0सा0 KTM 125 CC की बरामदगी की गयी जिस पर कुटरचित नम्बर प्लेट UP60AM1845 लगा हुआ है तथा इ- चालान एप से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 126/2024 धारा 41/411/473 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक

कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 126/2024 धारा 41/411/473 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

विराट सिंह उर्फ रिषभ सिंह पुत्र इन्द्रदेव मोहन सिंह साकिन देवरिया बाबू
थाना कप्तानगंज जिला कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

एक अदद चोरी की मो0सा0 KTM 125 CC

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

01. थानाध्यक्ष राजकुमार बरवार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
02. व0उ0नि0 श्री सुर्यभान यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
03. उ0नि0 श्री दीपक सिंह चौकी प्रभारी कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर ।
04. का0 लालजीत यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
05. का0 सत्यप्रकाश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 13171/22 व मु0अ0सं0 94/92 से सम्बन्धित वारण्टी 01. हीरा कुशवाहा पुत्र फैकू साकिन हिरनही थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर, मु0नं0 7310/20 धारा 323/504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारण्टी 02. जगरनाथ पुत्र कुशहर साकिन माघी कोठिलवा थाना जटहां बाजार जनपद, मु0नं0 13100/22 व मु0अ0सं0 143/89 धारा 336/323 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारण्टी 3.इन्द्रासन पुत्र श्यामराज साकिन विशुनपुरा खुर्द थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर 4.राजेन्द्र पुत्र फौजदार सा0 विशुनपुरा खुर्द थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर एवं मु0नं0 13199/22 धारा 279/337/338/427 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारण्टी 05. रामजी यादव पुत्र विदेशी साकिन विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

Edit with WPS Office

1. मु0नं0 13171/22 व मु0अ0सं0 94/92

2. मु०नं० 7310/20 धारा 323/504 भा०द०वि०

3. मु०नं० 13100/22 व मु०अ०सं० 143/89 धारा 336/323 भा०द०वि०

4. मु०नं० 13199/22 धारा 279/337/338/427 भा०द०वि०

गिरफ्तार वारण्टीगण-

1. हीरा कुशवाहा पुत्र फैकू सा० हिरनही थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

2. जगरनाथ पुत्र कुशहर सा० माघी कोठिलवा थाना जटहां बाजार जनपद

3. इन्द्रासन पुत्र श्यामराज सा० विशुनपुरा खुर्द थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

4. राजेन्द्र पुत्र फौजदार सा० विशुनपुरा खुर्द थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

5. रामजी यादव पुत्र विदेशी सा० विशुनपुरा बुजुर्ग थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० ओमप्रकाश तिवारी थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

2. उ०नि० अनिल कुमार शर्मा थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

4. उ०नि० देवब्रत यादव थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

3. का० समीर यादव थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

5. का० अनिल मौर्या थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

6. म०का० ज्योति सिंह थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 46 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 00 वाहन

2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु०-62, व्यक्ति-217

3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(14)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-60)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office